संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक / कोविड–19 नियंत्रण / आई.डी.एस.पी / 2020 / 675 भोपाल, दिनांक 21 / 05 / 2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषयः– कोविड केयर सेन्टर के संचालन संबंधी जारी तकनीकि प्रोटोकॉल के संबंध में अतिरिक्त निर्देश विषयक

संदर्भः– 1. संचालनालयीन पत्र क्र. आई.डी.एस.पी / 2020 / 1223 दिनांक 06 / 05 / 2020 तथा 439 दिनांक 15 / 04 / 2020

2. भारत सरकार की "Guideline on Appropriate Management of Suspect/Confirmed Cases" दिनांक 07 / 04 / 2020

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्र. 1 के द्वारा कोविड केयर सेन्टर के संचालन संबंधी तकनीकि प्रोटोकॉल संबंधी निर्देश दिये गये है। उपरोक्त के संबंध में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश दिये जाते हैः–

1. <u>कोविड केयर सेन्टर में आवश्यक जॉचे एवं सर्वेलेन्स</u>
   - कोविड केयर सेन्टर में भर्ती समस्त संदिग्ध एवं कोविड–19 के पुष्ट रोगियों की विस्तृत इतिहास, General and Systemic Examination सुनिश्चित की जाये जिसमें पूर्व में निर्देशित Vital Surveillance Parameters के साथ–साथ Random Blood Sugar Estimation भी सुनिश्चित की जाये ताकि मधुमेह का इतिहास न देने वाले रोगियों में मधुमेह की त्वरित पहचान सुनिश्चित हो सके।
   - इस हेतु समस्त कोविड केयर सेन्टर में पूर्व में निर्देशित आवश्यक उपकरण अथवा लोजिस्टिक के साथ–साथ Glucometers उपलब्ध कराया जाये। 12 Hourly Surveillance के दौरान RBS की निगरानी की जाये।
   - कोविड केयर सेन्टर में 30 वर्ष से अधिक उम्र के संदिग्ध / पुष्ट रोगियों का भर्ती के समय RFT हेतु ब्लड सैम्पल CCC हेतु मेडिकल दल में कार्यरत स्टाफ नर्स द्वारा सैम्पल पूर्ण सतर्कता एवं आवश्यक सावधानियाँ बरतते हुए एकत्रित की जाये तथा CCC से संबद्ध प्रयोगशाला में जमा की जाये। जॉच परिणाम आने पर विशेषज्ञ को टेलीफोन पर अवगत कराया जाये। यदि जॉच परिणाम असामान्य पाई जाती है तो विशेषज्ञ के परामर्श अनुसार CCC हेतु नियत मेडिकल दल द्वारा उक्त रोगी का ट्रान्सफर DCHC में किया जाये।
   - प्रदेश में टी.बी एवं धूम्रपान जनित फेफड़े संबंधी रोगों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए CCC में पदस्थ स्टाफ नर्स द्वारा भर्ती संदिग्ध / पुष्ट रोगियों में सांस की कठिनाई संबंधी लक्षणों की 24x7 सतर्कतापूर्वक निगरानी सुनिश्चित की जाये। ऐसे कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को DCHC में ट्रान्सफर किया जाये।
   - DCHC/DCH में भर्ती समस्त रोगियों का प्रारम्भिक CXR की जॉच की जाये ताकि Cardic एवं Respiratory cause of Breathlessness को स्थापित किया जा सके।
   - CBP में Neutrophil : Leucocyte Ratio, Leucopenia, Low Platelet count व Haemoconcentration के संबंध में विशेष सतर्कता बरती जाये क्योंकि ऐसे कोविड–19 रोगियों में जटिलता की अधिक संभावना हो सकती है साथ ही उपरोक्त जॉचों से बैक्टीरियल व वायरल संक्रमण के संबंध में प्रोविजनल डायगनोसेस स्थापित करने में सुविधा होगी।

2. <u>CCC में भोजन एवं हल्के शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था</u>
   - रोगियों को संतुलित आहार (Balanced Diet) दिया जाये जिसमें कार्बोहाईड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल एवं विटामिन की पर्याप्त मात्रा हो। साथ ही रोगियों को दिन में 2 बार फलों का वितरण भी सुनिश्चित किया जाये।

- CCC में भर्ती संदिग्ध एवं रोगियों आर.डी.ए. अनुसार मल्टीविटामिन यथा विटामिन ए, डी., सी. तथा जिंक की प्रदायगी भर्ती अवधि तथा पुनरीक्षित डिस्चार्ज मापदण्ड अनुसार छुट्टी उपरान्त 7 दिवसीय होम आईसोलेशन अवधी के लिए भी प्रदान की जाये।
- समस्त भर्ती रोगियों को हल्के शारीरिक व्यायाम तथा Deep Breathing Exercises करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये ताकि रक्त संचार को बढ़ावा मिले एवं मांसपेशियों की अकड़न में कमी लाई जा सके।

3. **DCHC/DCH में CCC से अंतरित रोगियों की जॉच**

- इन केन्द्रों पर भर्ती रोगियों तथा CCC से अंतरित लक्षण युक्त रोगियों में ली गई समस्त जॉच नमूनों को 'फास्ट ट्रेक' किया जाये ताकि जटिलताओं की शीघ्र पहचान एवं उपचार सुनिश्चित हो सके।
- 30 वर्ष से अधिक उम्र के समस्त रोगियों की DCHC/DCH में ECG सुनिश्चित की जाये ताकि Arrhythmia व Myocarditis की त्वरति पहचान सुनिश्चित हो सके। रोगी के स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सकीय परामर्श अनुसार Echocardiography तथा Color Doppler की जॉच की जाये।
- DCHC/DCH में भर्ती मध्यम / गंभीर / क्रिटीकल रोगियों में Thrombotic Phenomenon/Episodes के संबंध में विशेष निगरानी रखी जाये।

उक्त निर्देश राज्य स्तर पर गठित तकनीकि समिति के अनुमोदन उपरान्त जारी की जा रही है।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / कोविड–19 नियंत्रण / आई.डी.एस.पी / 2020 / 676 भोपाल, दिनांक 21 / 05 / 2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन, म.प्र।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
8. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।
9. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

20/5

आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश